



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 25-05-21

थाना कविनगर ,गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा सनसनीखेज हत्या की घटना का 12 घन्टे के भीतर खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 829/2021 धारा 302 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुन्दर सिंह निवासी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 25.05.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बम्हेटा पुल के नीचे थाना क्षेत्र कविनगर से समय 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्ता संता पत्नी सुन्दर सिंह निवासी बम्हेटा थाना कविनगर को ग्राम बम्हेटा से समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 23/24.05.21 की रात्रि में ग्राम बम्हेटा थाना कविनगर में श्रीमती रामश्री व श्री नरेन्द्र की घेर में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके सम्बन्ध में मृतका श्रीमती रामश्री के पुत्र वादी मुकदमा श्री सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 भौंदी सिंह यादव निवासी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 829/2021 धारा 302 भादवि अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया । थाना कविनगर पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया । घटना का खुलासा होते देख वादी मुकदमा सुन्दर व उसके दोनों लडके व पत्नी घर से फरार हो गये । जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया एवं अभियुक्त अभिषेक व श्रीमती संता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया दोनों ने घटना का इकबाल करते हुए बताया कि हमारे परिवार की मृतक नरेन्द्र व मृतका श्रीमती रामश्री से छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी होती रहती थी जिसके चलते हमारा परिवार नरेन्द्र व श्रीमती रामश्री से रंजित रहते थे । दिनांक 23.04.21 की शाम में भी कहा सुनी होने के बाद दिनांक 23/24.05.2021 की रात्रि में सुन्दर के परिवार वालों ने षडयन्त्र करके अपने ही परिवार के नरेन्द्र व श्रीमती रामश्री को मौका पाकर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गये ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- (1) अभिषेक पुत्र सुन्दर सिंह निवासी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष शिक्षा 10वी पास ।
- (2) संता पत्नी सुन्दर सिंह निवासी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष शिक्षा अनपढ ।

नाम पता फरार अभियुक्त –

- (1) हिमांशु पुत्र सुन्दर सिंह निवासी बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (2) सुन्दर सिंह पुत्र भौंदी सिंह निवासी उपरोक्त ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

- 1- मु0अ0सं0 829/2021 धारा 302/193/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।



थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिल्ली के थाना केशवपुरम से 50लाख रुपये की लूट में वांछित अभियुक्त अपने साथी के साथ गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूट का एक मोबाइल फोन व पीली धातु (सोने) की एक चैन व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक: 25.05.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 25.05.2021 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान जिन्दल मार्केट के पास से समय करीब रात्रि 01.30 बजे मोटर साईकिल से रास्ते पर चलने वाले लोगों से मोबाइल व चैन की लूट करने वाले दो अभियुक्तों 01- हसन पुत्र फरीम नि0 गुलशन कालोनी मलिक नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष व 02- शोएब पुत्र इदरीश नि0 म0नं0 के- 155 गली नं0 03 सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को लूट की पीली धातु (सोने) की एक चैन तथा लूट का एक मोबाइल फोन सैमसंग ग्लैक्सी व लूट की घटना गिरफ्तार किया गया



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु लूट करते हैं जिससे वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभियुक्तगणों ने बताया कि वह 2 से 3 महीने से साहिबाबाद में रास्ते में चलने वाले लापरवाह लोगों के मोबाइल फोन व गले की चैन को लूट कर ले जाते हैं तथा उन्हें बेचकर कर अपना शौक पूरा करते हैं। यह जो चैन व मोबाइल फोन हैं यह हमने अभी कुछ दिन पहले लाजपतनगर/राजेन्द्र नगर क्षेत्र से लूटे हैं। अभियुक्त शोएब ने बताया कि वह दिल्ली के केशवपुरम थाने से 50लाख रुपये की लूट में वांछित चल रहा है। तथा यह सामान आज हम बेचने के लिये जा रहे थे, तभी पकड़े गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शोएब पुत्र इदरीश नि0 म0नं0 के- 155 गली नं0 03 सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष
2. हसन पुत्र फरीम नि0 गुलशन कालोनी मलिक नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शोएब:-

1. मु0अ0सं0 378/2021 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 576/2021 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 1151/2019 धारा 411,414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 915/2017 धारा 3392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1149/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 917/2017 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 924/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 3386/2018 धारा 380,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0 2693/2017 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
10. मु0अ0सं0 915/2017 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
11. मु0अ0सं0 **36/2020 धारा 394,34 भादवि थाना केशवपुरम दिल्ली से 50लाख रु0 की लूट में वांछित है।**
12. मु0अ0सं0 34498/2016 धारा 379,411 भादवि थाना जीटीबी एन्क्लेव दिल्ली।
13. मु0अ0सं0 7588/2016 धारा 379,411,34 भादवि थाना क्लकम दिल्ली।
14. मु0अ0सं0 16093/2019 धारा 379,411 भादवि थाना शाहदरा दिल्ली।
15. मु0अ0सं0 465/2016 धारा 356,379,411,34 भादवि थाना जीटीबी दिल्ली।
16. मु0अ0सं0 24ए/2018 धारा 103 डीपी एक्ट थाना जीटीबी दिल्ली।
17. मु0अ0सं0 42600/2018 धारा 379 भादवि थाना जामिया नगर दिल्ली।
18. मु0अ0सं0 24/2019 धारा 379,34 भादवि थाना पंजाबी बाग दिल्ली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हसन:-

1. मु0अ0सं0 378/2021 धारा 392,411 भदवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 576/2021 धारा 392,411 भदवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. मोबाईल फोन सैमसंग ग्लेक्सी एम-31 सम्बन्धित मु0अ0सं0 576/21 धारा 392 भादवि।
2. एक चैन पीली धातू (सोना) सम्बन्धित मु0अ0सं0 378/21 धारा 392 भादवि।
3. घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बजाज डिस्कवर DL7SBS5496 (207 एमवीएक्ट)

थाना लोनी, गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले के 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 400 ग्राम नशीला

पाउडर बरामद

पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्त 1. चंदा पुत्र मोहम्मद इशाक निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. अनूप पुत्र वेद प्रकाश निवासी काली मंदिर वाली गली 30 फुटा रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के साथ गढी कटैया पार्क के सामने लोनी चौकी क्षेत्र खन्नानगर से दिनांक घटना 25.5.2021 समय 09.00 बजे को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास:-

चंदा पुत्र मोहम्मद इशाक निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
अनूप पुत्र वेद प्रकाश निवासी काली मंदिर वाली गली 30 फुटा रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद
गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

400 ग्राम एल्प्रोजोलम पाऊडर नाजायज बरामद



कोरोना पीडितों के साथ अस्पतालों में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने वाले गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद

जनपद में कोरोना महामारी में कोरोना पीडितों से ठगी करने वालों को रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक महोदय द्वारा जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है जिसके अनुक्रम में दिनांक: 08-05-2021 को थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर के परिवेक्षण में सयुक्त कार्यवाही करते हुए कोविड-19 महामारी से पीडित व्यक्तियों के परिजनो से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करके मैक्स अस्पताल में ICU/वैन्टीलेटर बेड दिलाने के लिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्य 1-मयंक पुत्र सतीश खन्ना निवासी म0न0-111 पटेलनगर ॥ थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष , प्रदीप गौड पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम व थाना रमाला जिला बागपत हालपता एच-04 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था अभियोक्तों के कब्जे ठगी के 01 लाख 95 हजार रुपये बरामद बरामद किये गये थे। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 25/05/2021 को इनका एक साथी वाँछित अभियुक्त सतीश पुत्र नारायण प्रसाद निवासी c 50 कमला क्वार्टर भाटिया मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को रेलवे स्टेशन रोड से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन से पीडितों को फोन कर कर पैशा एठने का काम कर रहे थे मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर सतीश कुमार के द्वारा बताया गया कि हम 05 लोगों की एक गैंग हैं जिसके 04 अन्य साथी मयंक , प्रदीप व यश मेहता, गौतम वाष्णोय हैं पूछताछ करने पर मयंक गैंग का सरगना है हम लोगों के द्वारा कोविड महामारी के दौरान काफी लोग अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं हम लोग इन्हीं पीडितों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एमएमजी अस्पताल मैक्स अस्पताल व यशोदा अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों के बाहर खड़े होकर भर्ती कराने आये लोगों जिन्हें अपने मरीज के लिए आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है। उन लोगों को मदद करने के बहाने चिन्हित कर लेते हैं हम लोगों में से मयंक और यश मेहता कभी डाक्टर चिराग व कभी डाक्टर अमित या अन्य अलग अलग डाक्टरों के नाम से मदद करने के नाम पर अस्पतालों में आईसीयू बेड वेन्टीलेटर व अन्य सुविधा देने का विश्वास दिलाकर मैक्स अस्पताल में नियुक्त होने का दावा कर पीडित परिवार को विश्वास में लेकर मरीज का आधार कार्ड आरटी-पीसीआर रिपोर्ट , आक्सीजन लेवल व अन्य रिपोर्ट मो0न0 9891844920 पर व्हाट्सअप पर मंगवा लेते थे जैसे ही मरीज के परिवार वाले सभी रिपोर्ट भेज देते थे तो मयंक और यश मेहता डाक्टर चिराग बनकर मैक्स अस्पताल में आईसीयू बेड व वेन्टीलेटर उपलब्ध होने की जानकारी देकर मरीज के परिजनो को एडमिशन फीस के रूप में एडवॉन्स रुपये मैक्स अस्पताल का एकाउन्ट नम्बर बताकर ट्रान्सफर करवा लेते हैं। हमारे गैंग के **सतीश** के द्वारा लोगों से काल कर बात करने के लिये फर्जी आईडी के आधार पर सिम उपलब्ध कराये जाने का कार्य करता है तथा गौतम वाष्णोय पैसे मगाये जाने हेतु अपना खाता संख्या उपलब्ध कराता है खाता उपलब्ध कराये जाने के बदले में ठगी कराये जाने की राशी का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा होता है शेष ठगी गयी राशी हम चारों लोग आपस में बाँट लेते हैं। प्रदीप व मयंक से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग बी.काम

किये हैं तथा ठगी करने के बाद मोबाइल, सिम व बनाया गया फर्जी आधार कार्ड को जलाकर तोड़कर पूरी तरफ नष्ट कर देते थे। हम लोगो के द्वारा गूगल एप पर जाकर मैक्स की साईड की काफी कर उसमे अपना नम्बर पेस्ट कर देते हैं जिससे उन नम्बरो पर कोरोना से पीडित लोगो की अस्पतालो मे भर्ती हेत काँल आती है जिससे हम लोग डाक्टर चिराग व डाक्टर अमित व अन्य अलग अलग नाम के डाक्टर व मैक्स अस्पताल के डाक्टर होने के दावा कर लोगो से अस्पतालो मे एडमीशन कराने के नाम पर लाखो रुपये ठगी करने का काम करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता :-

1. सतीश पुत्र नारायण प्रसाद निवासी c 50 कमला क्वार्टर भाटिया मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 26

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 320/2021 धारा 420/467/468/471/34 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0- 325/2021 धारा 420, भादवि 379थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण :-

1. एक अदद मोबाइल फोन की-पैड बरामद।



थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद।
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25-05-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में वाँछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 25-05-2021 को चौधरी मोड के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से वाँछित अभियुक्त राजू पुत्र सोहालाल निवासी ढाला की दानी नारायणपुर के पास थाना नारायणपुर जनपद अलवर (राजिस्थान) हालपता किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

मुकदमा वादी श्री मामराज योगी पुत्र मुसूव राम योगी निवासी गाबराजपुरा खीख थाना गाजी जीत अलवर राजस्थान की तहरीर के आधार पर दिनांक 24.05.2021 समय 23.50 बजे मु0अ0सं0 461/2021 धारा 4326/323/504/506 भादवि अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बताया कि मेरे मामा के लडके मोहन के साथ राज के साथ मारपीट हो गयी थी जिसमे राजू के द्वारा मोहन का दाहिना कान काट कर अलग कर दिया था। मुकदमा उपरोक्त का वाँछित अभियुक्त राजू पुत्र सोहालाल निवासी ढाला की दानी नारायणपुर के पास थाना नारायणपुर जनपद अलवर (राजिस्थान) हालपता किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राजू पुत्र सोहालाल निवासी ढाला की दानी नारायणपुर के पास थाना नारायणपुर जनपद अलवर (राजिस्थान) हालपता किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0अ0सं0 461/2021 धारा 326/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0 नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ0नि0 श्री सचिन कुमार तोमर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. है0का0 रुपेन्द्र चौधरी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
4. का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

निल